ए.

सुभाष

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 158) 1 फरवरी, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सूर्या कांत और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।149 और एस।148 – हत्या-सूचना देने वाला अपने भाई, मृतक के साथ एक खाट पर बैठा था, जब छह आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर घटनास्थल पर पहुंचे-आरोप है कि ए-3 और तीन अन्य आरोपी, जो पिस्तौल से लैस थे, ने मृतक पर गोली चलाई, जबकि एक अन्य आरोपी 'एस. डी.', जो कुल्हाड़ी से लैस था, और ए-6, जो चाकू से लैस था, ने मृतक की गर्दन पर हमला किया-सत्र न्यायाधीश ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया।302 आर/डब्ल्यू 149 और 148 भारतीय दण्ड संहिता सी.-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-ए-3 और ए-6 की अपील पर, अभिनिर्धारित किया:तथ्यों पर, घटनास्थल पर पीडब्लू-1 और अभियोजन साक्षी- दोनों की उपस्थिति गंभीर रूप से संदेह में थी-पीडब्लू-1 और अभियोजन साक्षी- दोनों के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास थे, जिन पर न तो सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था-हालांकि अभियोजन पक्ष प्रत्येक गवाह से पूछताछ करने के लिए बाध्य नहीं है, जो कथित रूप से स्थल या अपराध स्थल पर मौजूद था, फिर भी तथ्यों के संदर्भ में, मृतक के पिता से पूछताछ करने में विफलता, जो कथित रूप से निकटता में बैठे थे, महत्व रखती है-अपीलार्थीगण (ए-3 और ए-6) तदनुसार संदेह के लाभ के हकदार हैं और बरी हो जाते हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** पीडब्लू**-1** के साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए**,** यह स्पष्ट है कि ऐसे भौतिक सुधार हैं जो मामले पर बयान के दौरान किए गए हैं जैसा कि एफ**.** आई**.** आर**.** में निर्धारित किया

गया है और साथ ही परीक्षा-इन-चीफ के दौरान भी किए गए हैं।मूल रूप से जिस भूमिका का श्रेय उन सभी अभियुक्तों को दिया जाता है जो देसी पिस्तौल से लैस थे, वह मृतक पर गोली चलाने की है।इसके बाद, प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-**1** में ए होता है।

जी.

एच.

258

259

सुभाष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

उन्होंने कहा कि जहां तक ए-**3** का संबंध है, उसने हवा में गोली चलाई थी, जबकि दो अभियुक्तों ने वास्तव में मृतक के शरीर पर गोली चलाई थी।**[**पैरा **15] [265-**एफ-जी**]**

2.1.अभियोजन पक्ष का पूरा मामला यह था कि जिन सभी अभियुक्तों पर देसी पिस्तौल रखने का आरोप था, उन्होंने मृतक पर गोली चला दी थी।अभियोजन पक्ष का यह मामला पीडब्लू-**1** की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ पीडब्लू-**2** की प्रतिपरीक्षा में काफी हद तक कमजोर हो जाता है।महत्वपूर्ण रूप से, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट केवल एक हाथ की चोट का संकेत देती है, जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक पर गोली चलाई थी।इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मृतक की गर्दन पर एक चोट का संकेत देती है जो फिर से पीडब्लू-**1** और पीडब्लू-**2** के बयान से असंगत है कि दोनों आरोपी 'एसडी' ने एक फरसा और ए-**6** से लैस था, जो कथित रूप से चाकू से लैस था, ने मृतक की गर्दन पर हमला किया था।**[**पैरा **17] [266-D-E] 2.2**।घटनास्थल पर पीडब्लू-**1** और पीडब्लू-**2** दोनों की उपस्थिति गंभीर रूप से संदेह में है।पीडब्लू-**1** और पीडब्लू-**2** दोनों के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास हैं, जिन्हें होना चाहिए था, लेकिन सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।उच्च न्यायालय का विचार था कि बचाव पक्ष द्वारा बताए गए विरोधाभास मामूली प्रकृति के हैं।साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, कोई भी उस निष्कर्ष को बनाए रखने में असमर्थ है क्योंकि विरोधाभास मौलिक प्रकृति के थे जो अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक जाते हैं।यह सच है कि अभियोजन पक्ष अपराध स्थल या घटनास्थल पर कथित रूप से मौजूद प्रत्येक गवाह से पूछताछ करने के लिए बाध्य नहीं था, फिर भी तथ्यों के संदर्भ में, मृतक के पिता से पूछताछ करने में विफलता, जो कथित रूप से पास में बैठे थे, महत्वपूर्ण है।अभियुक्त-अपीलार्थी ए-**3** और ए-**6** तदनुसार संदेह के लाभ के हकदार हैं। **[**पारस **18** और **19] [266-**एफ-एच; **267-**ए-बी**]**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.158।

जी.

2008 के आपराधिक अपील No.5307 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 11.01.2019 से।

एच.

260

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 159।

सुश्री मंजू जेटली, चंदन मिश्रा, ब्रह्मदंडी रमेश, सुश्री मनीषा चावा, एम. विजया भास्कर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

संजय कुमार त्यागी, सुश्री हर्षिता रघुवंशी, सुश्री सलोनी तंगरी जावा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

ए **Facts.2** * बी **Submissions.5** * सी **Analysis.9** *

1.अनुमति प्रदान की गई।

एक तथ्य

2. ये अपीलें 2008 की आपराधिक अपील संख्या 5307 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 11 जनवरी 2019 के फैसले से उत्पन्न होती हैं।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील सत्र न्यायाधीश, बदायूं के 30 जुलाई 2008 के 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 499 के एक फैसले से उत्पन्न हुई, जो दत्तागंज जिला बदायूं पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 148 और धारा 302 के तहत दर्ज 2002 के मामला अपराध संख्या 61 से उत्पन्न हुई।सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 148 और आई. डी. 1 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए राजाराम, राजेश, सुभाष, रामपाल, शिव दयाल और ज्ञानवती को दोषी ठहराया। उन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आजीवन कारावास और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जी.

4. 16 फरवरी 2002 को पीडब्लू-1 वेदराम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर 1430 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 दर्ज की गई थी।एफ़. आई. आर. में दर्ज किया गया है कि घटना की तारीख को सुबह 11 बजे, सूचना देने वाला था

1 “ भारतीय दण्ड संहिता सी. "2" एफ. आई. आर ".

एच.

* एड। ध्यान देंःपृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

गाँव के कुएँ के पास एक खाट पर बैठे अपने भाई सुरेंद्र और अपने पिता के साथ छत पर बैठे थे।उस समय पिस्तौल से लैस राजाराम और राजेश, देसी पिस्तौल से लैस सुभाष और रामपाल, कुल्हाड़ी से लैस शिव दयाल और चाकू से लैस राजाराम की पत्नी ज्ञानवती घटनास्थल पर पहुंचे।राजाराम, राजेश, सुभाष और रामपाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पिस्तौल से उनके भाई सुरेंद्र पर गोली चलाई थी।शिव दयाल, जो कुल्हाड़ी से लैस था और ज्ञानवती पर सुरेंद्र की गर्दन पर हमला करने का आरोप है।मुखबिर बताता है कि वह फिर अपने घर की ओर भागा और दूसरों के साथ, छत पर मौजूद अपने पिता को सूचित किया। चुनौती दिए जाने पर अभियुक्तों पर आरोप है कि वे घटना स्थल से भाग गए थे।मुखबिर ने यह भी कहा कि मृतक राजेश के पिता की हत्या का आरोपी था, जिसके लिए अदालत में मुकदमा चल रहा था।5. मुकदमे में अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य पर आधारित था।मृतक सुरेंद्र का पोस्टमॉर्टम 17 फरवरी 2002 को पीडब्लू-4, डॉ. आर. के. रोहतगी द्वारा किया गया था।अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनमें वेदराम मुखबिर है, जबकि पीडब्लू-2, जगदीश एक कथित चश्मदीद

गवाह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने गाँव के तालाब से गुजरते समय घटना को देखा था।6. पोस्टमॉर्टम ने मृतक पर निम्नलिखित नौ चोटों का संकेत दियाः

“1. आर. टी. भुजा क्षेत्र 5 से. मी. x 2 से. मी. x कलाई के ठीक ऊपर की मांसपेशियों के पीछे के पहलू पर आई. डब्ल्यू।

2. गर्दन के मध्य के बाहरी पहलू पर IW 9 सेमी x 3 सेमी x कशेरुका गहरी।

3. बाईं बाजू के क्षेत्र के पीछे के पहलू पर आई. डब्ल्यू. 1 से. मी. x 0.5 से. मी. x कोहनी के नीचे 11 से. मी. गहरी मांसपेशी।

4. बाईं बाजू के क्षेत्र के पीछे के पहलू पर आई. डब्ल्यू. 3 से. मी. x 0.5 से. मी. x मांसपेशी कलाई से 6 से. मी. ऊपर।

5. आई. डब्ल्यू. बाईं ओर 8 से. मी. x 8 से. मी. x मांसपेशियों की गहराई और होंठ के नीचे 1 से. मी.।

जी.

6. दाहिनी ओर एल. डब्ल्यू. ऊपरी होंठ 2 से. मी. x 0.5 से. मी. x मांसपेशियों की गहराई।

7. दाहिनी ओर की छाती पर प्रवेश का एल. डब्ल्यू. अग्नि भुजा घाव 4 से. मी. x 3 से. मी. x गुहा और घाव के आसपास मौजूद दाहिने निप्पल से 8 से. मी. ऊपर काला पड़ना।

एच.

8. खोपड़ी के दाहिने हिस्से के शीर्ष पर एल. डब्ल्यू. 4 से. मी. x 2 से. मी. x खोपड़ी दाएं कान से 10 से. मी. गहरी होती है।

9. चेहरे के बाईं ओर 7 से. मी. x 2.5 से. मी. और कान में 3 से. मी. संदूषण।”

7. सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को मुख्य रूप से पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया।सत्र न्यायाधीश ने कहा कि:(i) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, यह साबित हुआ कि मृतक राजेश के पिता की हत्या का आरोपी था।चूँकि राजेश, सुभाष, राजाराम, रामपाल और ज्ञानवती रिश्तेदार हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मृतक की हत्या का उद्देश्य राजेश के पिता की मौत का बदला लेना था।

(ii) यह तथ्य कि पीडब्लू-1 ने अपने भाई को नहीं बचाया और उसे कोई चोट नहीं लगी, यह इंगित नहीं करता है कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं था।एक निहत्थे व्यक्ति के रूप में, पीडब्लू-1 के लिए अपने भाई को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना स्वाभाविक था; और

(iii) चिकित्सा साक्ष्य कि मृतक को केवल एक बार आग की बांह में चोट लगी थी, पीडब्लू-1 के बयान के अनुरूप था।पीडब्लू-1 ने कहा कि राजेश और राजाराम ने मृतक पर गोली चलाई, जबकि सुभाष और रामपाल ने गोलीबारी शुरू कर दी।इस प्रकार, यह साबित हो गया कि गोलीबारी निकट दूरी से हुई, लेकिन गोलीबारी के समय का पता एक सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया जा सकता है।8. सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी 2019 के अपने विवादित फैसले द्वारा अपील में की गई है।

बी प्रस्तुतियाँ

9. हमने अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री चंदन मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री संजय कुमार त्यागी को सुना है।

10. इस न्यायालय के समक्ष दो अपील सुभाष (अभियुक्त संख्या 3) और ज्ञानवती (अभियुक्त संख्या 6) द्वारा दायर की गई हैं।

जी.

11. अपीलार्थीगण की ओर से पेश श्री चंदन मिश्रा ने आग्रह किया है कि साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं जो अभियुक्त-अपीलार्थीगण को बरी करने की गारंटी देते हैं।अपीलों के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है:

एच.

ए.

(i) पीडब्लू-1, वेदराम आरोपी राजेश के पिता की हत्या का आरोपी था।पीडब्लू-1 पर एक चश्मदीद गवाह होने का आरोप है जो उस समय अपराध स्थल पर मौजूद था जब मृतक सुरेंद्र पर हमला किया गया था।अभि.सा. 1 और मृतक राजेश के पिता की हत्या के आरोपी थे, यह संभावना नहीं है कि उन्हें तब बख्शा गया होगा जब दूसरे पक्ष के लोगों के एक बड़े समूह ने सुरेंद्र पर आग्नेयास्त्रों, कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया।

(ii) पीडब्लू-1 द्वारा किए गए भौतिक सुधार हैं जो उनकी शिकायत, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के तहत बयान और मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा दोनों के दौरान बयान की तुलना पर स्पष्ट होंगे।

(iii) पीडब्लू-2, जगदीश एक संयोग गवाह था, जिस पर आरोप है कि जब वह गाँव के तालाब से लौट रहा था, तब उसने अपराध देखा था।पीडब्लू-2 का बयान इसी तरह इंगित करता है कि वह घटना के तथ्यात्मक विवरण से अनजान था, और वास्तव में, उसके बयान के दौरान उसके मामले में काफी सुधार हुआ है।

(iv) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के दौरान दर्ज की गई चोटों से पता चलता है कि मृतक के हाथ में केवल एक चोट लगी है और गर्दन पर एक चोट लगी है।अभियोजन पक्ष का मामला कि शिव दयाल और ज्ञानवती दोनों ने मृतक की गर्दन पर हमला किया, इसलिए गर्दन पर लगी एकमात्र चोट की प्रकृति से गलत है।

(v) यह तथ्य कि पोस्टमॉर्टम के दौरान मृतक के शरीर पर केवल एक आग की बांह की चोट देखी गई है, अभियोजन पक्ष के गवाहों के मामले में विश्वास दिलाएगा कि पांच अभियुक्तों ने मृतक के शरीर पर गोली चलाई थी।

(vi) इस बारे में गंभीर संदेह है कि क्या पीडब्लू-1 एक चश्मदीद गवाह है और पीडब्लू-2 जो एक संयोग गवाह है, उस पर इस सरल कारण से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी गवाही गंभीर संदेह के अधीन है; और

जी.

(vii) इसलिए मृतक के पिता, जो कथित रूप से अपराध स्थल पर मौजूद थे, चेतराम से पूछताछ करने में अभियोजन पक्ष की विफलता कुछ महत्व रखती है।

12 दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता श्री संजय कुमार त्यागी ने उन निष्कर्षों पर जोर देने का प्रयास किया है जो उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित फैसले के दौरान दर्ज किए गए हैं।अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण की ओर से जिन कथित विरोधाभासों को व्यक्त किया गया है, वे प्रकृति में मामूली हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा था।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा था कि:

(i) पीडब्लू-1 का बयान एफ. आई. आर. के अनुरूप था। एफ. आई. आर. में, पीडब्लू-1 ने कहा कि चारों अभियुक्तों ने अपने हथियारों से गोली चलाई, हालांकि अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि केवल राजेश और राजाराम ने मृतक पर गोली चलाई, जबकि सुभाष और रामपाल ने हवा में गोली चलाई।ये मामूली विसंगतियां हैं जो अभियोजन साक्षी- की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती हैं।

(ii) पीडब्लू-1 ने कहा था कि अभियुक्तों ने पाँच से छह कदम की दूरी से गोलीबारी की थी, जबकि पीडब्लू-2 ने कहा था कि उन्होंने 20 गज की दूरी से गोलीबारी की थी।चिकित्सा साक्ष्य को देखते हुए, पीडब्लू-2 का बयान विश्वसनीय नहीं है, हालांकि, पीडब्लू-2 एक देहाती ग्रामीण है जिसकी घटना के चार साल बाद जांच की गई थी।इस प्रकार, ये अंतर्विरोध पी. डब्ल्यू.-2 के बयान को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं हैं।

(iii) पीडब्लू-1 का प्रमाण-कि गोली पांच से छह चरणों की दूरी से चलाई गई थी-चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है क्योंकि आग की बांह की चोट के चारों ओर काला पड़ गया था जो इंगित करता है कि चोट निकट दूरी से गोलीबारी के कारण हुई थी;

((iv) यद्यपि अपराध स्थल से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया था, लेकिन यह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अनिवार्य नहीं है; और

(v) अपराध में अभियुक्त ज्ञानवती की भागीदारी पर केवल इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला होने के नाते अन्य अभियुक्त व्यक्तियों में शामिल नहीं होती। दो गवाहों का बयान कि वह चाकू से लैस थी और मृतक की गर्दन पर वार किया था, चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है।

जी.

13. अब हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे।

एच.

265

सुभाष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

सी विश्लेषण

14. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अनिवार्य रूप से पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान पर आधारित है।पीडब्लू-1, वेदराम, जो सूचना देने वाला है, ने अपने बयान में कहा है कि घटना से पहले आरोपी राजेश के पिता की हत्या का मामला था।उस मामले में मृतक सुरेंद्र और पीडब्लू-1, वेदराम आरोपी थे।एफ. आई. आर. में घटना के बारे में वेदराम का वर्णन है कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 11 बजे, जब वह मृतक के साथ गाँव के कुएं के पास एक खाट पर बैठा था, तो राजाराम, राजेश, सुभाष और रामपाल ने अपने देश से पिस्तौल चलाई और गोलियाँ उसके भाई सुरेंद्र को लगी थीं।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शिव दयाल जो एक फरसा से लैस थे और ज्ञानवती (राजाराम की पत्नी) जो एक चाकू से लैस थे, दोनों ने मृतक की गर्दन पर हमला किया था।जाँच-इन-चीफ के दौरान, यह भी कहा गया था कि शिव दयाल और ज्ञानवती दोनों ने मृतक की गर्दन पर हमला किया था।यद्यपि जाँच-इन-चीफ के दौरान, पीडब्लू-1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मृतक आरोपी राजेश के पिता की हत्या से जुड़े मामले में सह-अभियुक्त था, लेकिन यह तथ्य कि वह भी सह-अभियुक्त था, जिरह के दौरान सामने आया।जिरह के दौरान, पीडब्लू-1 से विशेष रूप से इस तथ्य के बारे में पूछताछ की गई कि घटना के दौरान उसे कोई चोट नहीं लगी थी और न ही आरोपी द्वारा उस पर हमला करने या मारने का कोई प्रयास किया गया था।अपनी जिरह में, पीडब्लू-1 ने हालांकि कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने "2-1" ने उसके भाई पर गोली चलाई, जबकि कुछ अन्य अभियुक्तों ने हवा में गोली चलाई।ए-3 की भूमिका के संबंध में, पीडब्लू-1 ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि उसने रामपाल के साथ मिलकर हवा में गोली चलाई थी, जबकि राजाराम और राजेश ने अपने भाई पर गोली चलाई थी।

15. पीडब्लू-1 के साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए, यह स्पष्ट है कि ऐसे भौतिक सुधार हैं जो मामले पर बयान के दौरान किए गए हैं जैसा कि प्राथमिकी में निर्धारित किया गया है और साथ ही परीक्षा-इन-चीफ के दौरान भी किए गए हैं।मूल रूप से जिस भूमिका का श्रेय उन सभी अभियुक्तों को दिया जाता है जो देसी पिस्तौल से लैस थे, वह मृतक पर गोली चलाने की है।इसके बाद, जिरह के दौरान, पीडब्लू-1 ने कहा कि जहां तक ए-3 का संबंध है, उसने हवा में गोली चलाई थी, जबकि दो अभियुक्तों ने वास्तव में मृतक के शरीर पर गोली चलाई थी।
16. पीडब्लू-1 के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, पीडब्लू-2, जगदीश के साक्ष्य का विज्ञापन करना सामग्री होगी।अपने परीक्षण-इन-चीफ के दौरान, पीडब्लू-2 ने ए-3 का विज्ञापन किया है, जो एक

उस ज्ञानवती (ए-6) ने शिव दयाल के साथ मिलकर मृतक की गर्दन पर क्रमशः चाकू और फरसा से हमला किया।पीडब्लू-2 स्पष्ट रूप से एक संयोग गवाह है, जिस पर आरोप है कि उसने गाँव के तालाब से लौटते समय इस घटना को देखा था।हालाँकि, अपनी जिरह के दौरान, पीडब्लू-2 ने कहा कि वेदराम, पीडब्लू-1, मृतक सुरेंद्र की खाट से लगभग दो हाथ की दूरी पर बैठा था।उन्होंने कहा कि वह यह बताने में असमर्थ हैं कि पहले किसने गोली चलाई थी और आखिरी बार मृतक पर किसने गोली चलाई थी।पीडब्लू-2 ने अपनी जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया कि वह यह निर्दिष्ट करने में असमर्थ था कि मृतक को किसकी आग लगी थी।उन्होंने कहा कि घटना के दौरान आरोपी मृतक से लगभग 20 गज की दूरी पर थे और वह यह बताने में असमर्थ थे कि फरसा से कितने लोग घायल हुए थे।पीडब्लू-2 यह बताने में असमर्थ था कि चाकू से कितनी चोटें आई थीं।पीडब्लू-2 की प्रतिपरीक्षा के ये पहलू एक से अधिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

17. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला, जैसा कि पहले देखा गया था, यह था कि जिन सभी अभियुक्तों पर देसी पिस्तौल रखने का आरोप था, उन्होंने मृतक पर गोली चला दी थी। अभियोजन पक्ष का यह मामला पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ पीडब्लू-2 की प्रतिपरीक्षा में काफी हद तक कमजोर हो जाता है।महत्वपूर्ण रूप से, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट केवल एक हाथ की चोट का संकेत देती है, जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक पर गोली चलाई थी।इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मृतक की गर्दन पर एक चोट का संकेत मिलता है जो फिर से पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान से असंगत है कि शिव दयाल और ज्ञानवती (ए-6), जो कथित रूप से चाकू से लैस थे, दोनों ने मृतक की गर्दन पर हमला किया था।

18. अभिलेख की इस स्थिति पर, हमारा विचार है कि मौके पर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 दोनों की उपस्थिति गंभीर रूप से संदेह में है।पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 दोनों के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास हैं, जिन पर विद्वान सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया है।उच्च न्यायालय का विचार था कि बचाव पक्ष द्वारा बताए गए विरोधाभास मामूली प्रकृति के हैं।साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, हम उस निष्कर्ष को बनाए रखने में असमर्थ हैं क्योंकि विरोधाभास मौलिक प्रकृति के थे जो अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक जाते हैं।यह सच है कि अभियोजन पक्ष प्रत्येक गवाह से पूछताछ करने के लिए बाध्य नहीं था, जिसके बारे में आरोप है कि वह अपराध स्थल या घटनास्थल पर मौजूद था, फिर भी तथ्यों के संदर्भ में क्योंकि उनके पास ए है।

जी.

एच.

267

सुभाष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

इस न्यायालय के समक्ष सामने आया कि छेतराम, जो मृतक के पिता थे और कथित रूप से निकटता में बैठे थे, से पूछताछ करने में विफलता महत्वपूर्ण है।

19. उपरोक्त कारण से, हमारा विचार है कि अभियुक्त-अपीलार्थीगण सुभाष (ए-3) और ज्ञानवती (ए-6) संदेह के लाभ के हकदार हैं।हम तदनुसार अपीलों को स्वीकार करते हैं और 2008 की आपराधिक अपील संख्या 5307 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 11 जनवरी 2019 के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार करते हैं।अपीलार्थीगण को तदनुसार बरी

कर दिया जाता है और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि वे किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित न हों।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.